(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **डॉ0 एम0के0 अग्रवाल,**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–675–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.12.2011 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सेंवड़ा जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक–40/08–09/अपील

.....

नरेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम खरे,
दत्तकपुत्र संतराम, निवासी ग्राम इकोना,
तहसील सेंवड़ा जिला दतिया म0प्र0.

------आवेदक

विरूद्ध

1–गिरीशकुमारी पुत्री संतराम,
पत्नी सुरेन्द्र कुमार,
2–रामकली वेवा पत्नी संतराम श्रीवास्तव,
निवासीगण ग्राम इकोना, तहसील सेवड़ा
जिला दतिया म0प्र0

------अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक गण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/03/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी सेंवड़ा जिला दतिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 सेवड़ा जिला दतिया के समक्ष विवादित भूमि (जिसकर उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका में अंकित होने से यहां पुनरांकित न किया जाकर विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा हैं) के संबंध में व्यवहारवाद कमांक 239–ए/05 प्रस्तुत किया गया था जिसमें

दिनांक 31.08.06 को निर्णय पारित किया गया, व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 के इस आदेश की प्रथम अपील अनावेदकगण द्वारा अपर जिला न्यायालय सेवढ़ा जिला दतिया के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो अपील प्रकरण क्रमांक 21–ए/06 पर दर्ज होकर दिनांक 17.12.2006 को निर्णीत की गयी। विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार इन्दरगढ जिला दतिया द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 52 अ–6/05–06 में पारित आदेश दिनांक 13.10.06 से व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 के द्वारा पारित डिक्री आदेश दिनांक 31.08.06 का पालन कराए जाने के संबंध में आदेश दिए गये थे, नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी सेवढा के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिसमें पारित आदेश दिनांक 14.12.2011 से अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय की ओर उभयपक्ष को सुना जाकर व्यवहार न्यायालय के आदेश के अनुसार अभिलेख दुरूस्त कराने के आदेश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी

3/ प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकों के द्वारा न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया । उभयपक्ष अधिवक्ताओं को उनका निवेदन स्वीकार करते हुए लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के बाद भी उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गये। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर निर्णय पारित किया जा रहा ।

4/ प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में यह स्पष्ट एवं स्पीकिंग व्याख्या की गयी है कि यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.06 से व्यवहार न्यायालय के निर्णय का अमल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कराए जाने के आदेश दिए गये है कोई नया आदेश विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा नहीं दिया गया है किन्तु डिक्री का अमल कराए जाने के आदेश दिए जाने से पहले सभी पक्षकारों को सुना जाना चाहिए था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को बिना सुने अमल कराए जाने का आदेश दिया गया था जिसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान

करते हुए व्यवहार न्यायालय के आदेशानुसार अभिलेख दुरूस्त कराए जाने के आदेश के साथ प्रकारण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में कोई भूल नहीं की गयी है। विस्तृत विवेचना अनुविभागीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश दिनांक 14.12.2011 में किए जाने से यहां उसे पुनरांकित नहीं किया गया किन्तु उस पर विचार किया गया। विचारोपरांत अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 14.12.2011 विधिसंमत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अतः स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,